

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 236 /2022

तारीख रजू :- 3.8.22

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/495

उनवान

भरतलाल पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी महदलालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—सायलान—04

बनाम

राजकुमार पुत्र परभाती जाति जाट निवासी महदलालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—26

दिनांक	फर्द अहकाम
3.8.22	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
16/9/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित वादी वकील ने अवगत कराया कि वादी उक्त आज्ञा नहीं चलाना चाहता है। वादी उक्त नोटिस में वास्तविक रुतना जोड़ डी। मतः मुकदमा 236/22 यथा भरतलाल बनाम राजकुमार और उक्त में वास्तविक किया जाता है। पत्रावली मिशल कुमार ये 02 नम्बर में मरधी।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>

not pass
by
A